

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-02.02.2016

1. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-572/व0प0, श्री एच0एस0 गुप्ता, भा0व0से0, (झार0-86), मुख्य वन संरक्षक, सम्प्रति राज्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

2. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-573/व0प0, श्री ए0के0 रस्तोगी, भा0व0से0, (झार0-86), मुख्य वन संरक्षक, सम्प्रति राज्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

3. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-574/व0प0, श्री बी0 निजलिंगप्पा, भा0व0से0, (झार0-86), मुख्य वन संरक्षक, सम्प्रति राज्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

4. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-575/व0प0, श्री एस0एस0 बघावन, भा0व0से0, (झार0-86), मुख्य वन संरक्षक, सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-575 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । /-

सरकार के उप सचिव

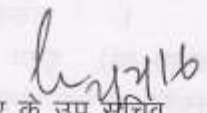
ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-575 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची/ सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ सभी मुख्य वन संरक्षक/ सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक, भा0व0से0 प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली/ संबंधित सभी भा0व0से0 पदाधिकारी/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

झापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-575 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ भा0व0से0 आरोप शाखा/नोडल पदाधिकारी ई-गवर्नेन्स/भा0व0से0 स्थापना शाखा (पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ) को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांक-02.02.2016

1. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-576/व0प0, श्री एस0ई0एच0 काजमी, भा0व0से0, (झार0-85), सम्प्रति मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, राँची को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री काजमी द्वारा वर्तमान में धारित पद मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, राँची को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, राँची का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

2. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-577/व0प0, श्री शशिनन्द कुलियार, भा0व0से0, (झार0-86), सम्प्रति क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री कुलियार द्वारा वर्तमान में धारित पद क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

3. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-578/व0प0, श्री पी0के0 वर्मा, भा0व0से0, (झार0-86), सम्प्रति क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री वर्मा द्वारा वर्तमान में धारित पद क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।



प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

4. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-579/व0प0, श्री वी0एस0 गौड़, भा0व0से0, (झार0-86), सम्प्रति क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री गौड़ द्वारा वर्तमान में धारित पद क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

5. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-580/व0प0, श्री ए0एस0 रावत, भा0व0से0, (झार0-86), सम्प्रति मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री रावत द्वारा वर्तमान में धारित पद मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

6. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-581/व0प0, श्री दीपक सिंह, भा0व0से0, (झार0-86), सम्प्रति मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, रांची को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री सिंह द्वारा वर्तमान में धारित पद मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, रांची को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, रांची का गैर संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।



प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

7. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-582/व0प0, श्री अखिलेश कुमार, भा0व0से0, (झार0-86), सम्प्रति मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, रांची को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- HAG रू0 67000-79000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

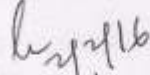
श्री कुमार द्वारा वर्तमान में धारित पद मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, रांची को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, रांची का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

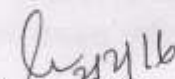
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

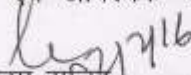
झापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-582 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

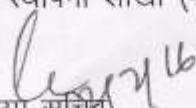
झापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-582 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, भा0व0से0 प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली/संबंधित सभी भा0व0से0 पदाधिकारी/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

झापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-582 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ भा0व0से0 आरोप शाखा/नोडल पदाधिकारी ई-गवर्नेन्स/भा0व0से0 स्थापना शाखा (पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ) को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-02.02.2016

1. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-594/व0प0, श्री ए0एम0 शर्मा, भा0व0से0, (झार0-91), सम्प्रति वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका, देवघर को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू 10000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री शर्मा द्वारा वर्तमान में धारित पद वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका, देवघर को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्ट करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्ट पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका, देवघर का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

2. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-595/व0प0, श्री दिनेश कुमार, भा0व0से0, (झार0-91), सम्प्रति वन संरक्षक, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, रांची को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू 10000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री कुमार द्वारा वर्तमान में धारित पद वन संरक्षक, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, रांची को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्ट करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्ट पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में वन संरक्षक, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, रांची का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

3. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-596/व0प0, श्री संजीव कुमार, भा0व0से0, (झार0-92), सम्प्रति वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा, जमशेदपुर को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू 10000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री कुमार द्वारा वर्तमान में धारित पद वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा, जमशेदपुर को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्ट करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्ट पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा, जमशेदपुर का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

6

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

4. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-597/व0प0, श्री महेन्द्र प्रसाद, भा0व0से0, (झार0-92), सम्प्रति वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू 10000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री प्रसाद द्वारा वर्तमान में धारित पद वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

5. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-598/व0प0, श्री एस0के0 गुप्ता, भा0व0से0, (झार0-92), सम्प्रति वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू 10000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री गुप्ता द्वारा वर्तमान में धारित पद वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

6. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-599/व0प0, श्री बी0के0 प्रसाद, भा0व0से0, (झार0-92), सम्प्रति वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, रांची को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू 10000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री प्रसाद द्वारा वर्तमान में धारित पद वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, रांची को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, रांची का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

7. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-600/व0प0, श्री नरेन्द्र प्रसाद, भा0व0से0, (झार0-93), सम्प्रति वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू 10000/- में प्रोन्नति दी जाती है।

h

श्री प्रसाद द्वारा वर्तमान में धारित पद वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला को भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में निहित प्रावधान के आलोक में उत्कृष्टित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित किया जाता है।

इस उत्कृष्टित पद पर योगदान देने की तिथि से प्रोन्नति का लाभ देय होगा।

इस अवधि में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा।

प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप वर्तमान पद के नियंत्री पदाधिकारी के नियंत्रण में रहकर धारित पद के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, यद्यपि नियंत्री पदाधिकारी उनके समकक्ष हो सकते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-600 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-600 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, रांची/ सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, भा0व0से0 प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली/संबंधित सभी भा0व0से0 पदाधिकारी/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-600 व0प0, दिनांक-02.02.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ भा0व0से0 आरोप शाखा/नोडल पदाधिकारी ई-गवर्नेन्स/भा0व0से0 स्थापना शाखा (पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ) को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-02.02.2016

1. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-601/व0प0, श्री डी0के0 सक्सेना, भा0व0से0, (झार0-92), वन संरक्षक, सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू0 10000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।
2. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-602/व0प0, श्री प्रवीण झा, भा0व0से0, (झार0-92), वन संरक्षक, सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू0 10000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।
3. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-603/व0प0, श्री एन0एस0आर0 कुमार, भा0व0से0, (झार0-92), वन संरक्षक, सम्प्रति निदेशक, विपणन, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू0 10000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।
4. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-604/व0प0, श्री विश्वनाथ साह, भा0व0से0, (झार0-93), वन संरक्षक, सम्प्रति राज्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू0 10000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।
5. संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-605/व0प0, श्री मोहन लाल, भा0व0से0, (झार0-93), वन संरक्षक, सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित, को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान- PB-IV रू0 37400-67000/- ग्रेड पे0-रू0 10000/- में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-605 व0प0, दिनांक- 02.02.2016

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

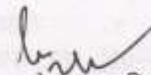
ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-27/2014-605 व0प0, दिनांक- 02.02.2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, राँची/निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, भा0व0से0 प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली/संबंधित सभी भा0व0से0 पदाधिकारी/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2/भा0व0से0(स्था0)-605 व0प0, दिनांक- 02.02.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ भा0व0से0 आरोप शाखा/नोडल पदाधिकारी ई-गवर्नेन्स/भा0व0से0 स्थापना शाखा (पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ) को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव